न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0), मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
137 / 2022	17.06.2022	16.12.2022

//उनवान//

1 रूडियाराम पुत्र छाजूराम जाति चमार
2 फूलसिंह पुत्र बुधा जाति चमार निवासी चन्दपुरा की ढाणी तन पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— वादीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:— असल प्रतिवादी

2 दुर्गा पुत्र छाजूराम
3 बसन्ती पत्नि देवीसहाय
4 मदनलाल पुत्र बुधा
5 मेहरचन्द पुत्र बुधा
6 मोहनलाल पुत्र देवीसहाय समस्त जाति चमार निवासीयान चन्दपुरा की ढाणी तन पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

:—तर0 प्रतिवादीगण।

दावा — इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज।

उपस्थितिः— श्री गंगाराम पटेल — वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक— 16.12.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 13/0.01, 14/1.33, 17/0.01, 18/0.09, 19/0.34, 20/0.08, 21/0.43, 24/0.01, 25/0.85, 9/3.47 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी एवं उक्त आराजी मिनवादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर बहामी बटवारे के आधार पर हम काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा एक ही परिवार के लोग है एवं बुजुर्गान के समय से ग्राम पेहल में रह रहे है। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में असल [illegible] तर0 प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारियों ने आपस में [illegible] खातेदार का प्रतिवादीगण के मूलनिवास गांव पेहल की जगह रिकॉर्ड में आसरा [illegible] भी कर अंकन कर दिया एवं मोहनलाल वगैरह मजकूर [illegible] दिया, जो कानून और मौके के खिलाफ किया है [illegible] पेहल तहसील व सरोकार नहीं है जिनको हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड [illegible] मुण्डावर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। शेष सहखातेदारान से [illegible] अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस प्रकार मिनवादीगण व तर0प्रतिवादीगण विवादित आराजी के बाबत निम्न प्रकार खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। दुर्गा पुत्र छाजूराम हिस्सा 1/6, फूलसिंह पुत्र बुधा हिस्सा 168/1315, बसन्ती पत्नि देवीसहाय हिस्सा 1/10, मदनलाल पुत्र बुधा हिस्सा 168/1315, मेहरचन्द पुत्र बुधा हिस्सा

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:15:19 IST
Reason: SelfAttested

168/1315, मोहनलाल पुत्र देवीसहाय हिस्सा 1/6, रूडियाराम पुत्र छाजूराम हिस्सा 1/6 समस्त जातियान चमार साकिन पेहल खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है अर्थात् उक्त अंकन के अलावा शेष गलत अंकन को हजफ किया जावे। उक्त गलत अंकन राजस्य रिकॉर्ड से हमें अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है तथा नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है जिस कारण हमारे अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिनकी रक्षार्थ हेतु दावा पेश करना लाजिम आया है अंकित करते हुये वाद वादीगण व तर0प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की विवादित आराजीयात में वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदार घोषित किया जावे एवं शेष अंकन हजफ किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब पैरोकार बिन्दूवार वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये शेष पैरा कानूनी बिन्दू होकर न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार से संबंधित है अंकित कर पेश किया है। एवं तर0प्रतिवादी सं0 2 ल0 6 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेश होकर शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक वाद में चाही गई रिलीफ अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे हम तर0प्रतिवादीगण को काई एतराज नहीं होगा।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 ल0 3 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मोहनलाल पीडब्ल्यू–1, फूलसिंह पीडब्लयू–2, रूडियाराम पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी और तर0 प्रतिवादीगण के मूलनिवास गांव पेहल की जगह आसरा का माजरा खातेदार का अंकन कर दिया एवं मोहनलाल वगैरह मजकूर बकाश्त सम्पत पुत्र बुधा का अंकन भी कर दिया जो कानून और मौके के खिलाफ किया है। वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का आसरा का माजरा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है जिनको हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में साकिन पेहल तहसील मुण्डावर खातेदार दर्ज किया जाना न्याय संगत है एवं मोहनलाल वगैरह मजकूर बकाश्त सम्पत पुत्र बुधा के अंकन को हजफ किया जाकर मिनवादीगण व तर0प्रतिवादीगण विवादित आराजी के बाबत निम्न प्रकार खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। दुर्गा पुत्र छाजूराम हिस्सा 1/6, फूलसिंह पुत्र बुधा हिस्सा 168/1315, बसन्ती पत्नि देवीसहाय हिस्सा 1/10, मदनलाल पुत्र बुधा हिस्सा 168/1315, मेहरचन्द पुत्र बुधा हिस्सा 168/1315, मोहनलाल पुत्र देवीसहाय हिस्सा 1/6, रूडियाराम पुत्र छाजूराम हिस्सा 1/6 समस्त जातियान चमार साकिन पेहल खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है अर्थात् उक्त अंकन के अलावा शेष गलत अंकन को हजफ किया जावे।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवे[illegible] को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प[illegible] योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 13/0.01, 14/1.33, 17/0.0[illegible]8/0.09, 19/0.34, 20/0.08, 21/0.43, 24/0.01, 25/0.85, 9/3.47 है0 वाके [illegible]म पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में निवास गांव पेहल की जगह अंकित हो रहे आसरा का माजरा खातेदार एवं अ.विव. मोहनलाल वगैरह मजकूर बकाश्त सम्पत पुत्र बुधा के बाबत के अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:15:19 IST
Reason: SelfAttested

को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण रूडियाराम पुत्र छाजूराम को 1/6 भाग का व फूलसिंह पुत्र बुधा को 168/1315 भाग का तथा तर0प्रतिवादीगण दुर्गा पुत्र छाजूराम को 1/6 भाग का, बसन्ती पत्नि देवीसहाय को 1/10 भाग का, मदनलाल पुत्र बुधा को 168/1315 भाग का, मेहर चन्द पुत्र बुधा को 168/1315 भाग का, मोहनलाल पुत्र देवीसहाय को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष सहखातेदारान के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा पूर्वानुसार अंकन यथावत रहेगा। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **16.12.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

16-12-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्र0)
मुण्डावर, अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:15:19 IST
Reason: SelfAttested